15-

राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 50/2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री जगदीश सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह रावणा निवासी झंवरों का मोहल्ला, राजाजी का करेडा, जिला भीलवाड़ा।

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, करेडा जिला भीलवाड़ा

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक :20.06.2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, करेडा जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 13.05.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत एक आवेदन निर्धारित शुल्क राशि 10/– रूपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 15 एफ 943338 के साथ लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित किया गया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, करेडा से उनके पत्रांक सामान्य/सू.का.अधि./2022/724 दिनांक 06.06.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र में चाही गयी सूचना के संबंध में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, करेडा के पत्रांक 503 दिनांक 19.04.2022 से अपीलार्थी को निर्धारित शुल्क जमा करा सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया, किन्तु प्रार्थी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ तथा सूचना प्राप्त नहीं की।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया, परन्तु अपीलार्थी द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना प्राप्त नहीं की गयी। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी/प्रत्यर्थी के कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क जमा करा सूचना प्राप्त करें।

आदेश आज दिनांक 20.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

20/6/22

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा